निर्णय ब इजलास संदेश कुमार आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 82/2024 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

राज्य सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

मैसर्स सांगानेर गैस एजेन्सी, 162 ए, सन्नी नगर, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 19 किलोग्राम क्षमता के **60 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 5 किलोग्राम क्षमता के 06 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एलपीजी 1140 किलोग्राम**, को साजसात (Confiscate) करने बाबत ।

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्रीमती हेमलता निगम अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक **14.05.2026**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक **26.09.2024 को एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डराण एवं दुरूपयोग की जांच हेतु मैसर्स सांगानेर गैस एजेन्सी के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गैस एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन स्टॉक रिकार्ड, तेल कम्पनी के आपूर्ति चालान, गोदाम से उपभोक्ताओं को जारी आपूर्ति के गेट पास एवं गोदाम में भण्डारित सभी श्रेणियों के गैस सिलेण्डरों के स्टॉक का मिलान किया गया। मौके पर स्टॉक रजिस्टर के आधार पर** 19 किलोग्राम क्षमता के **60 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 5 किलोग्राम क्षमता के 06 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. रिकार्ड से अधिक पाये गये जिनको जब्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर मुताबिक रिकार्ड से अधिक मिलना गैस एजेन्सी के अवैध क्रय विक्रय एवं भण्डारण को प्रमाणित करना पाया गया है,** जिनको जब्त किया गया है। जब्त सिलेण्डर को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक **30.09.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम** को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। **अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्रीमती हेमलता निगम ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।**
3. **बहस उभय पक्ष सुनी गई।**
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि **सांगानेर गैस एजेन्सी के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के**

जिला कलक्टर जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

दौरान गैस एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन स्टॉक रिकार्ड, तेल कम्पनी के आपूर्ति चालान, गोदाम से उपभोक्ताओं को जारी आपूर्ति के गेट पास एवं गोदाम में भण्डारित सभी श्रेणियों के गैस सिलेण्डरों के स्टॉक का मिलान किया गया। मौके पर गैस एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार 19 किलोग्राम क्षमता के भरे हुये व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का वांछित स्टॉक 42 होना चाहिये था जबकि गोदाम में भण्डारित उक्त श्रेणी के 102 गैस सिलेण्डर भण्डारित पाये गये जो वांछित स्टॉक से 60 गैस सिलेण्डर अधिक थे। इसी प्रकार 05 किलोग्राम क्षमता के खाली घरेलू गैस सिलेण्डर का स्टॉक रिकार्ड के मुताबिक 16 होना चाहिये था जबकि गोदाम में उक्त श्रेणी के 22 गैस सिलेण्डर भण्डारित पाये गये जो वांछित स्टॉक से 06 गैस सिलेण्डर अधिक पाये गये। जिनका वजन करने पर गैस सिलेण्डर्स में कुल 1140 किलोग्राम एल.पी.जी. पाई गई। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर मुताबिक रिकार्ड से अधिक मिलना गैस एजेन्सी के अवैध क्रय विक्रय एवं भण्डारण को प्रमाणित करना पाया गया है। जिनको जब्त किया जाकर मैसर्स सांगानेर गैस एजेन्सी के प्रबन्धक श्री राजसिंह पुत्र श्री केदार सिंह, निवासी 39 करणी विहार जयपुर की सुपुदर्गी में दिये गये। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा जिन 60 व्यावसायिक सिलेण्डरों का इन्द्राज गैस एजेन्सी के रिकार्ड में नहीं होने तथा क्षमता से अधिक होने बात कही है वह सरासर बेबुनियाद आधारों पर की गई है। उक्त व्यावसायिक सिलेण्डर नेनोकट सिलेण्डर थे जो कि इण्डियन ऑयल भारत सरकार के उपक्रम से टेस्टिंग हेतु प्राप्त किये गये थे जो कि एक विशेष केटेगरी के सिलेण्डर होते है, जो कि मेटल्स व अन्य धातुओं को पिघलाने आदि के कार्य में लिये जाते है, जिनकी गुणवता की जाचं किये जाने के उपरान्त सहीं पाये जाने पर ही उनका रिकार्ड में इन्द्राज किया जाता है, अन्यथा जांच में खरे नही उतरने पर उन सिलेण्डरों को ज्यो का त्यो ही इण्डियन ऑयल कम्पनी को में लौटा दिया जाता है। उक्त नेनोकट सिलेण्डर टेस्टिंग पर ही गये हुये थे जो टेस्टिंग पर खरे नहीं उतरने के कारण मैसर्स निर्वाण एन्टरप्राईजज द्वारा दिनांक 25.09.2024 को ही अपने प्रमाण पत्र के द्वारा यह तथ्य लिखकर अपनी रिपोर्ट दी कि 14 व्यावसायिक नेनोकट सिलेण्डर गुणवता में खरे नहीं पाये गये, अतः उक्त सिलेण्डर वापस लौटाये जा रहे है। इसी तरह मैसर्स प्रिंस एन्टरप्राईजेज द्वारा भी दिनांक 25.09.2024 को 22 नेनोकट सिलेण्डर उपयोग में सही नही पाये जाने के कारण वापिस लौटा दिये गये थे जो इण्डियन ऑयल कम्पनी में भेजे जाने थे एवं मैसर्स जय भवानी क्योरिंग सेन्टर द्वारा भी 25 नेनोकट सिलेण्डर जो दिनांक 25.09.2024 को जांच में खरे नहीं उतरने पर गैस एजेन्सी को वापस लौटा दिये गये। उपरोक्त नेनोकट सिलेण्डर जांच में सही पाये जाने पर ही उनका इन्द्राज स्टॉक में किया जाता है, अन्यथा यह पेरेन्टल कम्पनी इण्डियन ऑयल को जस की तस ही भिजवा दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी द्वारा जिन 5 किलो क्षमता के 6 सिलेण्डर अधिक पाये जाने के संबंध में निरीक्षण के दौरान जिस स्टॉक रजिस्टर का क्लोसिंग स्टॉक के साथ मिलान किये जाने की बात कही है उनमें डिफेक्टीव (मार्केट रिटर्न) सिलेण्डरों का भी इन्द्राज किया गया था जिनको रिकार्ड पर नहीं लिया जाकर घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता से अधिक होना बताते हुये जब्त किये गये है जबकि अप्रार्थी द्वारा बार–बार जिला रसद अधिकारी के समक्ष यह तथ्य दोहराये गये थे कि उपरोक्त सिलेण्डर डिफेक्टीव (मार्केट रिटर्न) की श्रेणी में आते है। अतः उपरोक्त सिलेण्डर की

अतिरिक्त कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

गणना भी रिकार्ड में किया जाना जरूरी है परन्तु उनके द्वारा इस तथ्या को अनसुना कर दिया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी से जब्त 19 किलोग्राम क्षमता के **60 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 5 किलोग्राम क्षमता के 06 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. को अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश फरमावे।**

6. उभय पक्ष को गौर से सुना। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक **26.09.2024** का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन से अप्रार्थी द्वारा 60 व्यावसायिक नेनोकट सिलेण्डरों के संबंध में कथन किया गया कि उक्त सिलेण्डर इण्डियन ऑयल भारत सरकार के उपक्रम से टेस्टिंग हेतु प्राप्त हुये थे एवं अप्रार्थी द्वारा अंकित फर्मो के माध्यम से उक्त सिलण्डरों की टेस्टिंग करवाई गई जो कि टेस्टिंग पर खरे नहीं उतरने के कारण संबंधित फर्मो द्वारा उन्हे वापस गैस एजेन्सी को लोटा दिये गये है, जिनका रिकार्ड में इन्द्राज नहीं किया जाता है। अप्रार्थी ने इण्डियन ऑयल कम्पनी द्वारा टेस्टिंग किये जाने के संबंध में जारी लिखित पत्र या अनुज्ञा संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके की उक्त सिलेण्डर कम्पनी द्वारा अप्रार्थी को टेस्टिंग हेतु दिये गये थे। अवशेष 6 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 5 किलोग्राम का भी इन्द्राज स्टॉक से अधिक पाये गये, जिनके वैधता के संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी गैस कम्पनी पर गैस सिलेण्डरों को रिकार्ड में दर्ज नहीं करना एवं रिकार्ड से अधिक मिलना द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त **60 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 5 किलोग्राम क्षमता के 06 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एलपीजी 1140 किलोग्राम** को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में **दिनांक 30.09.2024** को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति **हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम** को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो।

11. निर्णय आज दिनांक 14.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदेश नायक)
जिला कलक्टर
जयपुर